Through you, Sir, I would once again appeal to the Government of India and to the Prime Minister to see to it that this project is not allowed to go out of existence and that steps are taken to continue it-not at our cost, but it may be done under the same Indo-British Pro. ject. Therefore, no question of autonomy even is involved. The question why then this peculiar attitude is there baffles me. But, nevertheless, I would expect the Prime Minister to take an initiative in the matter and allow it to *continue*. Thank *you*.

Reservation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes in different Universities

श्री मुललन्द मीणा (राज्स्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षाको क्रमबद्ध बनाने के लिये इस देश के अन्दर विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है । देश की श्राजादी के बाद इस भ्रन्दर ग्रन्स्चित जाति ग्रौर क्रे अनम्चित जनजाति जो बहुत समय से पिछड़े हुए थे उनको समाज में बराबर लाने के लिये कुछ विशेषाधिकार दिये थे । शिक्षा के स्तर पर ऋौर नौकरियों में ऊंचा उठाने के लिये उनके लिए पदों का ग्रारक्षण किया गंभा था लेकिन ग्राज श्राजादी के 40-45 दर्षी के बाद भी इस देश के श्रन्दर विभिन्न विश्वविद्यालयों में श्रमुसूचित जाति और ब्रन्सुचित जनजाति के लिए जो श्राक्षण की व्यवस्था थी, उसको लागू नहीं किया गया चाहे यनिवर्सिटीज के ग्रन्दर टीचिंग स्टाफ के पद हों या नान- टीचिंग स्टाफ के पद हों । इन पद, पर शैड्युल्ड कास्टस **गॅंड**यल्स दाइब्स के लोगों को नियक्त नहीं किया जा रहा है। इन विश्वविद्यालयों को हर वर्ष यूनीवर्सिटी ग्रांटस कमीक्षन द्वारा ग्रांट दी जाती है। मंद्री जी से सिवेदन करना मैं शिक्षा चाहंगा कि युनीवसिटी ग्रांटस कमीशन को यह निर्देश दें कि जो भी युनीवर्सिटी शैड्युल्ड कास्ट्स श्रीर शैड्युल्डस ट्राइब्स के अधिकारों का पालन नहीं कर रही है, ग्रांट रोक दी जाए। मैं ग्रापके उनकी सामने राजस्थान विश्वविद्यालय

उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं । उप-सभाध्यक्ष महोदय, मैंने बार-बार इस सदन के अन्दर, तीन बार इस सदन के अन्दर यह बात उठाई है कि लेकिन इस सदन के अन्दर मेरा बोलना क्षेत्रल बोलने तक ही सीमिल रहा। इसके भ्रागे कोई कार्यवाही नहीं हुई । इसलिए मैं ग्रापसे सिवेदन करना चाहता हूं कि राजस्था**न** यूनीवर्सिटी के भन्दर शैंड्यूल्ड कास्ट श्रौर शैड्युल्ड ट्राइस के जो रिक्त पद थे उनके अगस्ट जाकर वहां के अधिकारियों ने सामान्य वर्ग के लोगों को ग्रस्थाई रूप नियक्तियां कर दीं। इस बात को लेकर शॅंड्युल्ड कास्ट स्रौर शैड्यल्ड कर्मचारी संघ की ग्रोर से एक ट्राइब्स हाई कोर्ट के श्रन्दर दायर की ै कि जो हमारे वर्ग के लिए ब्रारक्षित .. हैं उनको हमारे वर्ग के योग्य लोगों सामान्य हारा भरा जाए न कि वर्ग के लोगों से। हाई कोर्टका जो फैसला हुन्ना उसमें विश्वविद्यालय को यह निर्देश दिया गया कि जितनी जल्दी हो क्षीब्रातिशीब्र इन पोस्टों से सामान्य वर्ग के लोगों को हटाकर शैंडयुल्ड कास्ट श्रीर <u> शेड्युस्ड</u> टाइब्स के लोगों को लगाएं दुर्भाग्य लेकिन को बात है कि प्रशासन ने उच्च न्यायालय के निर्देशा-कोई कार्यवाही नहीं की, उस फैसले का कोई पातन नहीं किया बल्कि सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को एक श्रौर मौका दिया। यह 1990 की बात है। हमारे इस सदन के अन्दर जनता दल के ं लोग भैंड्यूल्ड कास्ट ग्रौर भैंड्यूल्ड ा की बात करते हैं लेकिन 1990 🧓 ग्रन्दर जो प्रशासन की व्यवस्था थी, जिन लोगों का राज था,उन लोगों ने इसकी अनदेखी की जिसका परिणाम ग्राज तक शैडयल्ड कास्ट श्रौर शैड्यल्ड ट्राइब्स के लोग भुनत रहे हैं। सामान्य वर्ग के लोग हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील ले कर गये लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे नहीं दिया, उनकी श्रपील को रिजेक्ट कर दिया। इस बात को 6 महीने हो चुके हैं। तीन बार इंटरब्यू की डेटस निश्चित की गई ग्रौर तीनों बार इंटरव्यु स्थिमित कर दिये गये। ग्रभी तक उन लोगों को हटाया नहीं गया इसलिए

[मूलचन्द मीणा]

303

मैं नेयर से चाहता हूं कि भ्राप शिक्षा मंत्री जी को निर्देश दें कि भ्राप ऐसी यूनीवर्सि-टीज के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही करें, क्यों नहीं ग्रांट को रोकें। मैं इतना ही कहना चाहता हं। जय हिन्द।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) ः उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं भी श्रपने श्रापको श्री मीणा जो के साथ संबद्ध करता हूं श्रीर उसमें यह जोड़ना चाहता हूं कि मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है इसी शैड्यूल्ड कास्ट्स श्रीर शैड्यूल्ड ट्राइब्स के धारक्ष ण के संबंध में माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर और जब मैं बोलू तो मीणा जी उसका समर्थन करेंगे धौर मेरे साथ मत करेंगे। मैं ऐसी आशा उनसे रखता हूं।

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश):
उपसभाध्यक्ष महोदय, मीणा जी ने विशेष
उल्लेख के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रका की
श्रोर सरकार का ध्यान श्राकषित किया है,
मैं श्रपने श्रापको उससे संबद्ध करना चाहता
हूं। जब हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया,
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो ऐसी
स्थिति में हमें न्यायपालिका का सम्मान
करना ही चाहिए। साथ ही साथ संविधान

में जो व्यवस्था 3·00P·M है, उसका भी पालन होना चाहिए । बहुत ग्रावश्यक है इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए, इसे गम्भीरता के साथ लेते हुए भेरा सरकार से अनुरोध है कि मीणा जी ने जो विशेष उल्लेख के माध्यम से इस प्रश्न की श्रोर सरकार का ध्यान श्राकृषित किया है उसका सरकार भ्रक्षरणः पालन करे नहीं तो एक असंतोष जब उत्पन्न हो जाता है तो स्थिति बड़ी भयावह हो जाती है। इसलिए उस ग्रसंतीय की समाप्त करने के लिए भी सरकार को जल्दी कदम उठाना चाहिए और निर्देश देना चाहिए उस विद्यालय को कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिये हैं उसका पालन ग्रक्षरश: करें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): Shrimati Renuka Cbowdhury-not here. Shri J. P. Mathur.

COMMUNAL BIAS IN TEXTBOOK-HINDUSTAN KI TAREEKH—PRE-SCRIBED FOR CLASS IX BY THE WEST BENGAL SECONDARY EDUCATION

श्री जगदीस प्रसाद भायर (उत्रा प्रदेश): श्रीमन, मैं ग्रापके माध्यम से पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा स्वीकृत एक किताब की ग्रोर ध्यान ग्राकपित करना चाहता है। उस किताब का नाम है "हिन्दस्तान की तारीख" जो कि वहाँ के कक्षा 9वीं के लिए वेस्ट बंगाल बोर्ड श्राफ सेकेंड़ी एजकेशन ने स्वीकृत की है। सबसे बड़ी ग्रापत्ति मुझे यह है कि इस किताब में जो बच्चों की 9वीं कक्षा में पढ़ाई जाती है, हमारे पूजनीय गुरू तेग बहादूर जी का ग्रपमान किया गया है। उसके साथ शिवाजी भ्रौर राणा प्रताप जैसे नेताम्रों के विषय में कहा गया है कि छोटे छोटे नेता थे लेकिन हिंदु उनको राष्ट्रीय बीर करके मानने लगे हैं। इसके साथ यह कहा गया है क्योंकि श्रकदर राजा ने डीडस्लाभाईजेशन शुरू कर दिया था, हिंदुओं से दोस्ती की इसलिए हकमत गिरी। इसका ग्रर्थ यह निकलता है कि हिंदुस्तान का भवा तकी ही सकता है जब इसका इस्लामाइजशन हो। इस किताब के बारे में ग्रखबारों में जो खबरे छपी हैं मैं कूछ बह थोड़े से उद्धरण धापके सामने पहना चाहता हूं। इस किताब का नाम है "हिंदुस्तानं की तारीख" लिखने वाले हैं मोहम्मद याक्ब, 9वीं कक्षा में जो उर्द माध्यम के स्कूल्स चलते हैं उनमें पढ़ाई जाती है और स्वीकार की गई है वेस्ट बंगाल बोर्ड श्राफ सेकेंड्री एज्केशन से । वे कहते हैं:

"Akbar followed the wrong policy of improper generosity towards Hindus."

श्रागे कहते

"Ruling this "negation of religion,' the book maintains that this "had such a farreaching consequence that Hindus and Muslims came together-and no difference was left between faith (IMAAN) and heresy (KUFR),"